न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–63 / 2022

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया पंजीकृत कार्यालय 9th फ्लोर, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई, महाराष्ट्र–400021 एवं क्षेत्रीय कार्यालय– प्रथम तल, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर– 302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री नवीन जिंदल

—– प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स खान फ्रूट कम्पनी जरिये प्रोप्राईटर श्री टीपू पुत्र श्री अनवर (ऋणी) पता व्यापारियो का मौहल्ला, गुढागौढजी, जिला झुंझुनूं।
2. मजिद खॉन पुत्र श्री यासीन खॉन (जमानती) पता वार्ड नं0 1 गुढागौढजी, झुंझुनूं–333022

—– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभुति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

1. एडवोकट श्री योगेन्द्र सिंहः– प्रार्थी बैंक की ओर से।
2. अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 21.03.2022

प्रार्थी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी को बैंक द्वारा जरिए खाता संख्या 4024879889 को ऋण रूपये 15,00,000 / – (अक्षरे पन्द्रह लाख रूपये) एवं खाता संख्या 3836050427 में ऋण रूपये 3,09,167 / – (अक्षरे तीन लाख नौ हजार एक सौ सडसठ रूपये) इस प्रकार कुल ऋण रूपये 18,09,167 / – (अक्षरे अठारह लाख नौ हजार एक सौ सतसठ रूपये) का ऋण स्वीकृत किया एवं वितरित किया। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान सिक्योरिटी के रूप में अपनी निम्न अचल सम्पत्ति को प्रार्थी के पास साम्यिक रहन किया और उस पर निर्मित मकान को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया। जिसका विवरण नीचे वर्णित है।

बंधक संपति का विवरण		
श्री टीपू के स्वामित्व में आवासीय सम्पति ... चौधरी चरण सिंह कॉलोनी, टोढी गुढागौढजी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (राज...) स्थित है। जिसमें भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जि... चरो दिशाएः–		
पूर्व में	–	सुधा देवी का प्लॉट
पश्चिम में	–	रास्ता
उत्तर में	–	रोहितास का प्लॉट
दक्षिण में	–	मनियारों की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय हाने पर को अप्रार्थी के दिनांक 30.09.2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। अप्रार्थी के खाता संख्या 4024879889 में बकाया ऋण रूपये 15,10,082/– (अक्षरे पन्द्रह लाख दस हजार बयासी रूपये) खाता संख्या 3836050427 में बकाया ऋण रूपये 2,84,461/–(दो लाख चौरासी हजार चार सौ इकसठ रूपये) इस प्रकार कुल बकाया रूपये 17,94,543/– (अक्षरे सत्रह लाख चौरानवे हजार पॉच सौ तैतालीस रूपये मात्र) दिनांक 01.11.2021 तक व दिनांक 2.11.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 2.11.2021 को अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किया गया। जिसके बाद भी उन्होने देय राशि का भुगतान प्रार्थी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया को नही दिया। अप्रार्थी ने देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया उक्त वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। उक्त चरण संख्या 2 में वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पति को ताले लगे होने की स्थिति पर सम्पत्ति पर लगे तालों को तोडा जाकर कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर देय राशि वसूल करने का आदेश फरमाए जाने की प्रार्थना श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित सम्पति, जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में दिया गया है, का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करे, जो झुझुनू जिले में स्थित है व आपके अधिकार क्षेत्र में आती है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यतिक्रमी मानते हुये प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति अप्रार्थी टीपू के मालिकाना हक की अचल संपत्ति प्रोपर्टी आवासीय भूमि खसरा नं. 1737/685 चौधरी चरण सिंह कॉलोनी, टोढी गुढागौढजी, तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (राजस्थान) पर स्थित है। जिसमें भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 286.66 वर्गफुट स्थित भूमि व निर्मित सम्पत्ति का पजेशन प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:34 IST
Reason: SelfAttested